IV 13/2022

1

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

₹900

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP68828530364763U
Certificate Issued Date	:	19-Apr-2022 11:20 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14385004/ SULTANPUR SADAR/ UP-SLT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14385004288659193206556U
Purchased by	:	MPS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES JAN KALYAN TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MPS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES JAN KALYAN TRUST
Second Party	:	HANUMAN PRASAD SINGH
Stamp Duty Paid By	:	MPS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES JAN KALYAN TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	900 (Nine Hundred only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

न्यास विलेख पत्र

प्रस्तुत न्यास विलेख पत्र को मैं हनुमान प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कमला प्रसाद सिंह उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ जनपद–सुलतानपुर (उ0प्र0) द्वारा निर्मित किया गया।

KC 0004537657

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

न्यास–विलेख उद्घोषणा पत्र

(Deed of Declaration of Trust)

विदित हो कि मैं हनुमान प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कमला प्रसाद सिंह उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ जनपद–सुलतानपुर (उ0प्र0) जनहित के उद्देश्य से तथा अपनी इच्छा से एवं सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ इस जनन्यास (Public Trust)का गठन करना चाहता हूँ, जिनके प्राविधान निम्नलिखित हैं:–

1. ट्रस्ट का नाम — मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइसेंज जन कल्याण ट्रस्ट
2. कार्यालय — ग्राम व पोस्ट रामगढ़ तहसील लम्भुआ जनपद–सुलतानपुर (उ0प्र0)
3. मैं हनुमान प्रसाद सिंह प्रधान न्यासी (Author) एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का उनकी सहमति से न्यास का आजीवन संस्थापक न्यासी नियुक्त करता हूँ –

क्र. सं.	नाम	पिता / पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्री हनुमान प्रसाद सिंह	स्व0 कमला प्रसाद सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री अवनीश कुमार सिंह	स्व0 बलराम सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सामाजिक कार्यकर्ता
3.	श्री रजनीश प्रताप सिंह	स्व0 बलराम सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	नौकरी
4.	श्री राजेन्द्र नारायण सिंह	श्री रघुराज सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	नौकरी
5.	श्री अमित कुमार यादव	स्व0 दुर्गा प्रसाद यादव	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सामाजिक कार्यकर्ता
6.	श्री अच्छेलाल श्रीवास्तव	श्री राम सुमेर श्रीवास्तव	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	कृषि
7.	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	स्व0 कालिका प्रसाद श्रीवास्तव	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सामाजिक कार्यकर्ता
8.	श्री आशीष कुमार यादव	श्री विश्वनाथ यादव	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	नौकरी
9.	श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा	श्री राम निहोर विश्वकर्मा	ग्राम बधूपुर पोस्ट महादेवा लम्भुआ सुलतानपुर	नौकरी

4. **अध्यक्ष –**

श्री हनुमान प्रसाद सिंह इस जनन्यास के आजीवन अध्यक्ष होंगें। श्री हनुमान प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद श्री अवनीश कुमार सिंह पुत्र बलराम सिंह इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होगें, क्योंकि यह विधिक उत्तराधिकारियों में से सबसे वरिष्ठ एवं योग्य हैं।

5. **प्रबन्धक एवं सचिव –**

आजीवन ट्रस्टी रजनीश प्रताप सिंह पुत्र स्व0 बलराम सिंह ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ जनपद–सुलतानपुर (उ0प्र0) के प्रबन्धक रहेंगे। उनके स्थान पर प्रबन्धक पद पर नियुक्ति का अधिकार श्री हनुमान प्रसाद सिंह अध्यक्ष को होगा। यही अधिकार श्री हनुमान प्रसाद सिंह के बाद होने वाले अध्यक्ष को भी क्रमशः प्राप्त होगा। प्रबन्धक या अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद सिंह को ही होगा।

6. **ट्रस्ट फण्ड –**

मैं हनुमान प्रसाद सिंह प्रधान न्यासी (Author) सत्यनिष्ठा एवं स्वविवेक से प्रारम्भिक रूप से पाँच हजार एक (5001=00) रूपए नकद न्यास फण्ड में जमा कर इस न्यास की स्थापना करता हूँ तथा उपर्युक्त न्यासीगण द्वारा उक्त धनराशि न्यासहित में प्राप्त की गयी, जिससे न्यास अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर सके। उपर्युक्त पाँच हजार एक रूपये की धनराशि के साथ–साथ अन्य सभी धनराशियाँ और सम्पत्तियाँ (चल–अचल) समय–समय पर अंशदान, अनुदान, उपहार इत्यादि न्यासियों या अन्य किसी सज्जन व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या मेरे द्वारा या संस्थानों, निगम, संगठन, स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा दिया जायेगा आदि सभी धनराशि या आमदनी चाहे चल हो या अचल सब पर न्यास का आधिपत्य होगा तथा वह न्यास की सम्पत्ति होगी। किसी भी परिस्थिति में न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु न्यास के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या न्यासी के व्यक्तिगत निजी उपयोग के लिए नहीं होगी। उक्त सम्पत्ति के रख–रखाव के लिए एक न्यास फण्ड होगा जो अध्यक्ष के माध्यम से न्यासियों में समाहित होगा। न्यास फण्ड का बचत खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा, जिसका संचालन प्रबंधक श्री हनुमान प्रसाद सिंह पदेन करेगें। व उक्त धनराशि (5001-00) रूपए के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई अन्य चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

7. **न्यास का उद्देश्य –**

1. मानव की शान्ति, सुरक्षा, आनन्दमय, निष्कंटक, चिन्तारहित स्वस्थ जीवन, तथा आध्यात्मिक उन्नति द्वारा अंततः मुक्ति हेतु, सबकी सेवा इस न्यास का परम उद्देश्य होगा।
2. भारतीय संस्कृति, भाषा, दर्शन, साहित्य कला, संगीत, नृत्य आदि के विकास के लिए तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रम, हाबी सेंटर, अन्य प्राच्य विद्याओं एवं फोटोग्राफी इत्यादि के संवर्धन और विकास में सार्थक भूमिका हेतु समय–समय पर गोष्ठियों, व्याख्यानमाला एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

हनुमान प्रसाद सिंह

आवेदन सं०: 202200917002216

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 13 वर्ष: 2022

प्रतिफल- 5100 स्टाम्प शुल्क- 900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस द्वारा
हनुमान प्रसाद सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० कमला प्रसाद सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: रामगढ़ पर० चांदा तह० लम्भुआ जिला सुल्तानपुर

श्री, मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस द्वारा

हनुमान प्रसाद सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/04/2022 एवं 01:09:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश सिंह,
उप निबंधक लम्भुआ
सुल्तानपुर
22/04/2022

लम्भुआ सुल्तानपुर
निबंधक लिपिक

3. मनुष्य की सर्वोत्तम भावनाओं के प्रतीक पूजा स्थलों का निर्माण, रख–रखाव व जीर्णोद्वार, व्यायामशालाएं चलाना, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों एवं बूढ़ों के लिए विशेष योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना।

4. योग दर्शन, व्यावहारिक योग का प्रचार–प्रसार एवं शोध करना धर्म एवं दर्शन तथा जीवन के सभी पहलुओं पर यथार्थवादी आध्यात्मिक एवं अनुभूतिपरक दृष्टिकोण एवं नैतिक जीवन दृष्टि का समावेश करना तथा एक ऐसा वातावरण तैयार करना, जिसमें सौहार्द, एकता, समानता, भाईचारा, सत्य, दया, त्याग, करूणा, अहिंसा धम्म युक्त जीवन प्राप्त हो।

5. शिक्षा का प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना तथा शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा लोगों को वैज्ञानिक एवं तर्क संगत जानकारी अवगत कराना। इसके लिए छात्रवृत्ति, पेंशन, आर्थिक सहायता, वेतन, विद्यालयों का अनुदान, स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्ययनकक्ष, छात्रावास एवं प्राथमिक से स्नातकोत्तर के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन एवं इच्छुक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

6. ग्रामीण अंचलों एवं नगरीय, बालक–बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों, चिकित्सा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा समुचित प्रबन्ध करना।

7. महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए उनको स्वरोजगार प्रदान करने हेतु प्रेरणा देना। इलेक्ट्रानिक, यांत्रिकी संगीत एवं नृत्यकला, फोटोग्राफी, ज्योतिष कला, टाइपिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण विद्यालयों को संचालित करना, कुटीर एवं लघु उद्योग लगाने हेतु निःशुल्क औद्योगिक परामर्श की व्यवस्था करना।

8. धर्मशाला, अखाड़ा, गोशाला, आरामगृह की स्थापना करना या पहले से ही स्थापना होने पर इसका विकास करने में सहायता प्रदान करना। वृक्षारोपण जलसंचय को बढ़ावा देने के लिए जनजागरण रैलियाँ, गोष्ठी का आयोजन करना, पर्यावरण के प्रति लोगों को अवगत करना। प्रतिवर्ष योजनाएं बनाकर वृक्षारोपण करना तथा जानवरों, पशुओं एवं पक्षियों तथा अन्य जन्तुओं की सुरक्षा के लिए समुचित कार्य करना।

9. एड्स, नशाखोरी एवं मद्यपान को रोकने एवं उन्मूलित करने के लिए गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन करके उसके दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा पीड़ितों में आत्म विश्वास एवं मनोबल की वृद्धि करना तथा सामाजिक कुरीतियों यथा दहेज, पर्दाप्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह के विरूद्ध जनजागरण करना।

10. समाज में उपेक्षित लड़के, लड़कियों एवं बाल श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उनकी पुनर्स्थापना हेतु संस्थायें चलाना, ताकि उनके व्यक्तित्व व प्रतिभा का विकास हो सके।

आवेदन सं०: **202200917002216**

न्यास पत्र

बही सं०: 4	रजिस्ट्रेशन सं०: 13	वर्ष: 2022

प्रतिफल- 5001 स्टाम्प शुल्क- 900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस द्वारा
हनुमान प्रसाद सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० कमला प्रसाद सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: राजापद पर० चांदा तह० लम्भुआ जिला सुलतानपुर

श्री, मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस द्वारा

हनुमान प्रसाद सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/04/2022 एवं 01:09:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुखराम सिंह
उप निबंधक :लम्भुआ
सुलतानपुर
22/04/2022

. लम्भुआ सुलतानपुर
निबंधक लिपिक

11. निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को उनके नागरिक अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराना तथा उनके सामाजिक, आर्थिक विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण योजनायें चलाना।

12. पुस्तकालय/वाचनालय की स्थापना करना।

13. जनसमुदाय में राष्ट्र प्रेम की भावना, विकसित करने हेतु भारतीय महापुरूषों, राष्ट्रभक्तों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित गोष्ठियाँ, सेमिनार एवं साँस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना व कराना।

14. क्षेत्रवासियों में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता की भावना को उत्पन्न करते हुए खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड की नीतियों के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र खोलना एवं नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

15. सरकारी, अर्द्धसरकारी/निगमों, संस्थाओं, विभागों, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, लघु उद्योग निदेशालय, महिला कल्याण निगम, अल्पसंख्यक कल्याण निगम तथा अन्य वित्तीय सहायता, अनुदान परामर्श आदि लेकर समाज के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्वावलम्बी बनाना।

16. राष्ट्रीय स्मारक, प्राचीन धरोहरों एवं सांस्कृतिक प्रतीकों के संरक्षण हेतु जन सामान्य में जागरूकता पैदा करना एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रयास करना।

17. समाज में ऐसी संस्थाओं का निर्माण कराना जहाँ पर अनाथ बच्चे, निराश्रित महिलायें एवं वयोवृद्ध नागरिक एक सम्मिलित परिवार में रहें।

18. समाज में ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं निर्माण करना जहाँ पर अनाथ बच्चे व निर्धन परिवार के प्रतिभावान बच्चे बोर्डिंग सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षण कार्य निःशुल्क प्राप्त कर सके।

19. शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, ज्योतिष एवं फोटोग्राफी के सम्बन्ध में समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करना, उन्हें शिक्षित करना तथा उनकी प्रतिभा को निखारना ताकि उनके व्यक्तित्व के विकास के साथ–साथ उसका आर्थिक विकास भी हो सके और वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें।

20. मेडिकल साइसेंज से संबंधित समस्त पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, पैरामेडिकल संस्थान, डेंटल कालेज की स्थापना करना तथा इन कालेजों के संचालन मानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण करना तथा उन्हें संचालित करना।

आवेदन सं०: 202200917002216

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 13	वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री मथुरा प्रसाद सिंह इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के द्वारा हनुमान प्रसाद सिंह, पुत्र श्री स्व० कमला प्रसाद सिंह

निवासी: रामगढ़ पर० चांदा तह० लम्भुआ जिला सुलतानपुर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार सिंह , पुत्र श्री सन्त प्रसाद सिंह

निवासी: कठगांव पर० चांदा तह० लम्भुआ जिला सुलतानपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री प्रमोद कुमार शुक्ला , पुत्र श्री रामकुमार शुक्ला

निवासी: गोपालपुर मथैयां पर० चांदा तह० लम्भुआ जिला सुलतानपुर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

सुखराम सिंह
उप निबंधक : लम्भुआ
सुलतानपुर

लम्भुआ सुलतानपुर
निबंधक लिपिक

8. **न्यास का संविधान –**

अ. न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष (All over India) होगा। ट्रस्ट का नाम एवं कार्यालय धारा 1 एवं 2 में अंकित है।

ब. **सदस्यता का प्रकार –**

क. **संस्थापक न्यासी** – इसका उल्लेख ट्रस्ट डीड की धारा 3 में अंकित है।

ख. **आजीवन न्यासी**–इसका उल्लेख ट्रस्ट डीड की धारा 3 में अंकित है। जिन्हें इस धारा में अंकित न्यासियों को मताधिकार है। अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद सिंह को उप समिति की सलाह पर स्वयं बने रहने या दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ती कर उसे कार्यभार सौंपने का दायित्व होगा।

ग. **साधारण सदस्य**–न्यास में साधारण सदस्य बनाने का अधिकार श्री हनुमान प्रसाद सिंह को होगा। साधारण सदस्यों को मताधिकार नहीं होगा और उनका कार्यकाल मात्र पाँच वर्ष के लिए होगा, जिनका नवीनीकरण अध्यक्ष की इच्छा एवं सन्तुष्टि पर ही होगा। ऐसे सदस्य न्यास के हित में अपना सद् परामर्श एवं विचार दे सकते हैं, किन्तु उनके विचार एवं परामर्श बाध्यकारी नही होगें।

स. **सदस्यों की अयोग्यता/समाप्ति –**

मानसिक रूप से विक्षिप्त होने पर, न्यायालय द्वारा किसी संगीन अपराध में दण्डित होने पर, दिवालिया घोषित हो जाने पर अथवा इस्तीफा स्वीकार करने की दशा में कोई भी न्यासी न्यास की सदस्यता हेतु अयोग्य होगा। मृत्यु होने पर किसी भी न्यासी की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। किसी भी न्यासी का इस्तीफा, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार न्यास के अध्यक्ष को होगा।

द. **प्रबन्ध समिति**–न्यास की प्रबन्ध समिति में आजीवन न्यासी ही पदाधिकारी एवं सदस्य हो सकेंगें। न्यास की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित रूप में होगी–

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	श्री अवनीश कुमार सिंह	स्व0 बलराम सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र नारायण सिंह	स्व0 रघुराज सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री हनुमान प्रसाद सिंह	स्व0 कमला प्रसाद सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	प्रबन्धक
4.	श्रीमती बीना सिंह	श्री अवनीश कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	उपप्रबंधक

5.	श्री रजनीश प्रताप सिंह	स्व0 बलराम सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष
6.	श्री मनीष प्रताप सिंह	स्व0 बलराम सिंह	ग्राम व.पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
7.	श्रीमती मेधा सिंह	श्री रजनीश प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
8.	श्रीमती सुधा सिंह	स्व0 सियाराम सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
9..	श्री अच्छेलाल श्रीवास्तव	श्री राम सुमेर श्रीवास्तव	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
10.	श्री राकेश कुमार श्रीवा0	श्री कालिका प्रसाद श्रीवा0	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
11.	श्री आशीष कुमार यादव	श्री विश्वनाथ यादव	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
12.	श्री ओमप्रकाश विश्वकर्मा	श्री राम निहोर विश्वकर्मा	श्री बधूपुर पोस्ट महादेवा लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
13.	श्री अमित कुमार यादव	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
14.	श्री शम्भूनाथ सिंह	श्री आनन्द किशोर सिंह	ग्राम ईशापुर पोस्ट पट्टी नरेन्द्रपुर जौनपुर	सदस्य
15.	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	श्री अवधेश सिंह	ग्राम ईशापुर पोस्ट पट्टी नरेन्द्रपुर जौनपुर	सदस्य
16.	श्री शंशाक शेखर सिंह	स्व0 सियाराम सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य
17.	श्री प्रशांत शेखर सिंह	स्व0 सियाराम सिंह	ग्राम व पोस्ट रामगढ़ लम्भुआ सुलतानपुर	सदस्य

नोट— प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक (सचिव) के अधिकार ट्रस्ट डीड की धारा 4 एवं 5 में अंकित है। उपाध्यक्ष के अधिकार का उल्लेख डीड की धारा 11 (21) में वर्णित है।

9. **मीटिंग एवं सूचना अवधि –**

आजीवन न्यासियों की साधारण सभा की बैठक एवं प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में एक बार होगी फिर भी आवश्यकतानुसार आजीवन न्यासियों की साधारण सभा की बैठक तथा प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाने हेतु अध्यक्ष जब चाहे प्रबन्धक को निर्देश दे सकता है, अथवा स्वयं भी मीटिंग बुला सकता है, सामान्यता मीटिंग की सूचना भेजने की अवधि सात दिन की होगी। जिसमें

सूचना भेजने का दिन शामिल है, किन्तु आपातिक स्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से यह अवधि घटायी जा सकती है। सूचना रजिस्टर पर सूचना देकर हस्ताक्षर कराया जा सकता है। आजीवन न्यासियों की साधारण सभा की बैठक एवं प्रबन्ध समिति की बैठक पृथक–पृथक होगी। दोनों का अलग–अलग एजेण्डा होगा तथा अलग–अलग कार्यवाही पुस्तिका होगी।

10. **गणपूर्ति –**

मीटिंग का कोरम प्रबन्ध समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होगा। कोरम के अभाव में अध्यक्ष द्वारा मीटिंग एक घंटे के लिए स्थगित करने के बाद उसी स्थल पर पुनः मीटिंग हो सकती है, जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। समान मत होने की दशा में अध्यक्ष को सर्वथा एवं सर्वत्र एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

11. **प्रबन्ध समिति के अधिकार –**

1. न्यास के उद्देश्यों को कार्यान्वित करना एवं उनको साकार रूप देना।
2. प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, इंजीनियरिंग, मैनेजमेण्ट, विधि, चिकित्सा, टीचर एजूकेशन (शिक्षक–शिक्षण) प्राविधिक, औद्योगिक प्रशिक्षण जैसी संस्थाओं की स्थापना करना।
3. न्यास के उद्देश्यों में वर्णित अन्य उन समस्त कार्यों को करना जो नहीं लिखे गये हैं।
4. इस न्यास के द्वारा जो भी शैक्षिक संस्था या अन्य कोई अस्पताल या संस्थान स्थापित होगा और जहाँ प्रबन्ध समिति का बनाया जाना राज्य सरकार द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा अथवा सम्बद्धता मान्यता एवं परीक्षा कराने वाली संस्था द्वारा अपेक्षित होगा वैसा अधिनियम, परिनियम या रेगुलेशन के अनुसार प्रबन्ध समिति एवं प्रशासन योजना का निर्माण उप समिति के द्वारा बनवाया जायेगा। उस दशा में जो भी प्रबन्ध समिति बनायी जायेगी उसका अध्यक्ष ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद सिंह को उसके प्रबन्धक को नामित करने का अधिकार श्री हनुमान प्रसाद सिंह अध्यक्ष को होगा। ऐसी किसी भी प्रबन्ध समिति के उक्त दो पदाधिकारियों (अध्यक्ष एवं प्रबन्धक) को छोड़कर शेष पदों का चयन आजीवन ट्रस्टी मण्डल की साधारण सभा द्वारा होगा जिसमें आजीवन ट्रस्टियों के अतिरिक्त साधारण सदस्यों का भी चयन हो सकता है, किन्तु साधारण सदस्यों में से चयनित सदस्यों को प्रबन्ध समिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। वे संस्था हित में सुझाव एवं परामर्श दे सकते हैं। उक्तवत् गठित प्रबन्ध समिति के सुचारू ढंग से कार्य न करने की दशा में अध्यक्ष प्रबन्ध समिति को विघटित कर स्वयं को प्रशासक घोषित कर सकते हैं और ऐसी दशा में अधिकतम एक वर्ष में प्रबन्ध समिति का गठन होगा।
5. दान, अनुदान, उपहार, चन्दा आदि स्वीकार करना तथा लेना चल या अचल सम्पत्ति या अन्य जो भी सम्पत्ति किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों

द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाये उसे स्वीकार करना। यदि ऐसा कोई अंशदान, उपहार, सम्पत्ति, अनुदान कोई न्यासी प्राप्त करता है तो उसे प्रधान न्यासी के पास दस दिनों के अन्दर किसी भी परिस्थितियों में स्थानान्तरित करना होगा यह अवधि विशेष परिस्थिति में प्रधान न्यासी द्वारा स्पष्ट स्वीकृति से पन्द्रह दिन के लिए अधिकतम बढ़ायी जा सकेगी।

6. न्यास एवं इसके द्वारा संस्थापित संस्थाओं की उन्नति के लिए चल–अचल सम्पत्ति क्रय करना, फर्म व कम्पनियों से उपहार एवं अंशदान ऋण पत्र अंश स्वीकार करना, जनन्यास के लिए सरकार से प्रतिभूति व अन्य सम्पत्ति नियमानुसार प्राप्त करना, न्यास के लिए आय उपलब्ध करने हेतु समय–समय पर प्रस्ताव पासकर न्यासीगण चन्दा, दान, उपहार आदि हेतु आवेदन करना।

7. प्रबन्ध समिति की सेवा विचार के आधार पर न्यास की चल–अचल सम्पत्ति के विक्रय करने, परिवर्तित करने, विनिमय, हस्तान्तरण, पट्टा अथवा किराये पर देने अथवा सम्पूर्ण सम्पत्ति को चाहे वह अचल हो या चल सम्पत्ति हो, के सम्बन्ध में निवेश करने अथवा पुनर्निवेश करने का अधिकार है। इसके लिए प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। ये सभी कार्य न्यास के सर्वोपरि हित व उद्देश्य को प्रधानता देकर ही किया जायेगा।

8. ट्रस्ट के प्रधान न्यासी एवं अध्यक्ष को ट्रस्ट में तथा इसके द्वारा संचालित एवं स्थापित समस्त संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों में समान मत की दशा में एक अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

9. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वैधानिक प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के तहत वाद दाखिल करने या अपील करने, आवेदन पत्र निर्मित करने याचिका दाखिल करने एवं शपथपत्र देने जैसा भी आवश्यक एवं हितकर हो करना। इस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। वाद आदि की पैरवी एवं वाद योजित करने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। इस कार्य हेतु अध्यक्ष किसी आजीवन न्यासी को अधिकृत कर सकता है। सुलह करने, मिलाने या छोड़ देने, पंचायत करने अथवा किसी विवाद को सुलझाने, क्लेम करने और वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपील या जो विवाद न्यास से सम्बन्धित हो या न्यास खाते अथवा उसके अन्तर्गत हो या उससे सम्बन्धित व्यय से सम्बन्धित हो अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष का विचार इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा। मुकदमें की पैरवी के लिए प्रधान न्यासी/अध्यक्ष किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं।

10. न्यास खाते के सम्पूर्ण अथवा अंश और न्यास के उद्देश्य के विकास के लिए आय की व्यवस्था करना।

11. यदि आवश्यकता हो तो समय–समय पर अथवा अल्पकाल के लिए न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उप–समिति का गठन करना, जिसमें एक अथवा

एक से अधिक न्यासी हो सकते हैं।

12. न्यास के समान उद्देश्य वाले अन्य संस्था, संगठन या समितियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना, अधिग्रहण करना, सम्बद्धता प्रदान करना, किन्तु प्रधान न्यासी (अध्यक्ष) का निर्णय अन्तिम होगा।

13. अधिवक्ता व प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उनकी जिम्मेदारी एवं अधिकार प्रदान करने के सारे अधिकार न्यास के प्रधान न्यासी/प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष को होगे। जो विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं प्रतिवाद करने एवं न्यास के उन्नति से सम्बन्धित कार्य करेगा।

14. न्यास के कार्य के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष अपने स्व–विवेक एवं विचार के आधार पर आवश्यकता को देखते हुए करेगें।

15. न्यास का कार्य सम्पादित करने के लिए की गयी कोई नियुक्ति या अनियुक्तियाँ को निरस्त करने, रद्द करने का अधिकार प्रधान न्यासी को होगा। वही अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाला सक्षम अधिकारी होगा।

16. सामान्य रूप से सभी व्यय एवं कार्य, विलेख पत्र जैसी भी जरूरत हो प्रबन्ध समिति के नियंत्रण प्रशासन एवं न्यास की सुरक्षा हेतु आवश्यक हो न्यास के खाते के माध्यम से होते रहेगें तथा इस सम्बन्ध में सारे अधिकार अन्तिम रूप से प्रधान न्यासी में समाहित होगें।

17. भविष्य में जब भी आजीवन न्यासी या साधारण न्यासी का स्थान रिक्त होगा उस पर प्रधान न्यासी (अध्यक्ष) द्वारा न्यासी का मनोनयन किया जायेगा। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। वर्तमान प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को अपनी इच्छानुसार भावी प्रधान न्यासी अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार सर्वदा सुरक्षित रहेगा।

18. न्यास की उन्नति एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासीगण समय–समय पर कार्यक्रम नियम एवं नियमावली बनायेगें तथा न्यासीगण अपने स्व विवेक से दस्तावेज निर्माण करके कार्य का प्रारूप तैयार करेगें जिसमें किसी प्रकार का मतभेद एवं अविवेकपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं होगा और इसमें प्रधान न्यासी का आदेश व निर्णय अन्तिम व सर्वोपरि होगा।

19. श्री हनुमान प्रसाद सिंह प्रधान न्यासी होगें और प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का कार्यभार जीवन पर्यन्त करेगें। ये अपने जीवनकाल तक अध्यक्ष रहेंगें, अपने जीवनकाल में ही भावी प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगें। किसी भी मामले में अन्तिम निर्णय पूर्ण रूप से लेने का अधिकार इन्हें होगा। अध्यक्ष को जब महसूस हो कि प्रबन्ध समिति न्यायहित में कार्य नहीं कर रही है तो प्रबन्ध समिति को भंग करके सभी अधिकार दायित्व अपने हक में कर सकते हैं। प्रधान न्यासी के आकस्मिक निधन पर दूसरा प्रधान न्यासी नियुक्त न होने की स्थिति में प्रधान न्यासी के निकटतम विधिक वारिस ही प्रधान न्यासी होगा।

20. अध्यक्ष के आदेश पर प्रबन्धक प्रबन्ध समिति की बैठक किसी भी समय पूर्व सूचना देकर बुलायेगें, बैठक हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अलावा व अन्य किसी बात की कोई चर्चा बैठक में तभी होगी, जबकि प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा अन्य कोई स्वीकृति या निर्देश दिया गया हो। अध्यक्ष स्वयं भी बैठक बुला सकते हैं।

21. प्रधान न्यासी/अध्यक्ष ही किसी भी बैठक की अध्यक्षता करेगें अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यासी अथवा उपाध्यक्ष किसी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

22. न्यासीगण की बैठक की संक्षिप्त प्रक्रिया पुस्तिका में अंकित की जायेगी जो अध्यक्ष के हस्ताक्षर से रखी जायेगी और उस बैठक में निर्णय आदि का (यदि कोई हो) उल्लेख होता रहेगा।

23. वर्तमान समय में या भविष्य में लागू होने वाले आयकर, व्यापारकर, सम्पत्ति कर न्यास अधिनियम व अन्य सम्बन्धित अधिनियमों के सुसंगत प्राविधान इस न्यास विलेख में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त स्वतः इस न्यास विलेख पर प्रभावी माने जावेगें।

मसौदाकर्ता - सुरेन्द्र पाठक एडवो.-पं. 3478/91
सी.ओ.पी.नं. 012210

गवाह :– तहरीर तारीख - 22.04.2022 ई०

1. नाम व हस्ताक्षर
विनोद कुमार [illegible]
पिता का नाम संतप्रसाद [illegible]
पता : गाँव - [illegible]
परगना चाँदा तहसील
लम्भुआ सुलतानपुर

2. नाम व हस्ताक्षर प्रमोद कुमार शुक्ला
पिता का नाम राम कुमार शुक्ला
पता : गोपालपुर मधैया
परगना चाँदा
त० लम्भुआ सुल्तानपुर

[illegible] प्रसाद सिंह

आवेदन सं०: **202200917002216**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 23 के पृष्ठ 269 से 290 तक क्रमांक 13 पर दिनाँक 22/04/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुखराम सिंह
उप निबंधक : लम्भुआ
सुलतानपुर
22/04/2022